

बिहार सरकार

समाहरणालय, गोपालगंज ।

(जिला पशुपालन कार्यालय गोपालगंज ।)

निविदा संख्या – 02

अल्प अवधि निविदा

उत्पादक / भंडारकर्ता / उप भंडारकर्ता / पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़ / सुखाड़ कार्य के लिए गेहूँ का भूरा, पुआल की कुटटी, दलहन की चुन्नी एवं गेहूँ का चोकर का सील बंद निविदा गोपालगंज जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2018–19 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 20.06.2018 शाम 5:00 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय, गोपालगंज में प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में जिला आपदा कमिटी के द्वारा अगले दिन 21.06.2018 को 03:00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के सूचना पट्ट एवं जिला वेबसाईट www.gopalganj.nic.in तथा विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो⁰ 5000/- (पॉच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो गोपालगंज शाखा में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य है।



जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज ।

निविदा की शर्तें निम्न हैं:-

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का चोकर, गेहूँ का भूसा, पुआल की कुटटी एवं चुन्नी हेतु निविदा अंकित होगा।
2. रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के पदनाम से एवं गोपालगंज में देय होगा। असफल निविदादाता को अग्रधन का ड्राफ्ट उसी समय लौटा दिया जायेगा तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जायेगी।
3. PAN कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. सामग्री का नमूना 200 gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद हो उसपर नाम, पता, एवं मोबाइल नं० अंकित हो।
5. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि कथ समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
6. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
7. वित्तीय निविदा में दर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। चोकर/ गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी का दर अलग-अलग अंकित होना चाहिए।
8. सामग्री की आपूर्ति गोपालगंज जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
10. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होंगे।
11. सभी अंचलों में निर्देशित स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होगे।
12. किसी भी रस्ते पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।
13. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमितता, गुणवता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी/काली सूखी में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जा सकता है।
14. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
15. कोई भी विवाद गोपालगंज न्यायालय के दायरे में होगा।
16. चोकर/गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी के गुणवता में संदेह होने पर गुणवता जॉब कराई जा सकती है।
17. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा दिया जायेगा, जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।
18. भूसा/पुआल/चोकर/चुन्नी में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होगी।
19. नियमानुसार भुगतान पर कर की कटौती की जायेगी।

क्रमांक	सामग्री	गुणवता
1	गेहूँ का भूसा	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
2	पुआल की कुटटी	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
3	चोकर (गेहूँ)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
4.	चुन्नी (दल्हन)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

(जिला पशुपालन कार्यालय।)

पत्रांक..... / प०पा०दिनांक..... /

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार पटना।

विषय:- निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संभावित बाढ़/सुखाड़ 2018 हेतु पशु चारा का दर निर्धारण हेतु संलग्न निविदा का आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन दैनिक रामायार पत्रों में अविलम्ब कराने की कृपा की जाय ताकि बाढ़/सुखाड़ हेतु पशु चारा की आपूर्ति हो सके। निविदा के प्रकाशन हेतु इस पत्र के साथ निविदा की प्रारूप तीन प्रति में एवं सी०डी० संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

✓/१६/१९

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
गोपालगंज

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला आपदा प्रबंधन
गोपालगंज।

अपर्याप्त
गोपालगंज

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

प्रतिलिपि:-
प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-
प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 6.2.0 / प०पा० गोपालगंज दिनांक 04 / 06 / 2018

अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज / हथुआ को सूचनार्थ प्रेषित।
जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर पशुपालन विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
सचिव पशु एवं मत्त्य संसाधन विभाग, बिहार पटना / आयुक्त सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
गोपालगंज

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला आपदा प्रबंधन
गोपालगंज।

अपर्याप्त
गोपालगंज

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।